न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 109/2023

UPRN180022162023

विलमेश सिंह बनाम राजमणि मिश्रा आदि

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 61ग2 अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी०</u>

दिनांक – 30/05/2026

वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 61ग2 अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र 62ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी ने विवादग्रस्त आराजी भूमि सं० 340 रकबा 0.0310 हे० में से 104 वर्ग मीटर रकबा स्थित ग्राम घाटमपुर शहरी क्षेत्र परगना व तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर वादिनी के शान्तिपूर्वक कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण व उनके परिवारीजन व अन्य सहयोगियों को मना किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिला के बाद सुनवायी के उपरान्त दिनांक 19/09/2023 को ही अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुए प्रतिवादीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था जो दिनांक 29/10/2025 तक प्रभावी रहा, दिनांक 28/11/2024 को प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय में उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके बाद उपस्थित नहीं आये इसलिए दिनांक 24/09/2025 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित कर दी गयी तथा पत्रावली एकपक्षीय साक्ष्य पर दिनांक 29/10/2025 हेतु नियत हुई थी। वादिनी वाद की पैरवी में दिनांक 29/10/2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आयी थी तथा अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र देने हेतु अपने अधिवक्ता महोदय से कहा तब अधिवक्ता महोदय ने अधिवक्ताओं की हड़ताल की जानकारी देकर स्टे का प्रार्थना पत्र देने में असमर्थता जताई और कहा कि अग्रिम तिथि पर हड़ताल के बाद आवेदन दिया जाएगा तथा बाद में वादिनी को दिनांक 17/11/2025 की तारीख फोन पर बतायी जो न्यायालय की दीवार में बाहर चस्पा हुई थी। दिनांक 06/11/2025 को वादिनी अपने अधिवक्ता महोदय से मिली तो उन्होंने बताया कि अग्रिम तिथि 17/11/2025 है, उस दिन अस्थायी व्यादेश के आदेश को विस्तारित किये जाने हेतु आवेदन दिया जाएगा, क्योंकि दिनांक 29/10/2025 को आवेदन स्टे बढ़ाने का नहीं दिया जा सका था तथा स्टे नहीं बढ़ सकता ता। वादिनी अपने अधिवक्ता महोदय की सलाह पर बिना विलम्ब किये अस्थायी व्यादेश को विस्तारित किये जाने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 151 जा०दी० की तहत प्रस्तुत कर रही है। यदि अस्थायी व्यादेश को अग्रिम तिथि तक विस्तारित नहीं किया गया तो प्रतिवादीगण जिसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित हो चुकी है वो गैर कानूनी तरीके से वादिनी के कब्जे में मदाखलत कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो वादिनी की हको की अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी भरपायी भविष्य में सम्भव नहीं हो पायेगी तथा माननीय न्यायालय में पीडिता होकर वाद दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। वादिनी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 19/09/2023 को अग्रिम तिथि तक विस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी है और न ही प्रतिवादीगण न्यायालय उपस्थित आ रहे हैं।

वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि वादिनी द्वारा उक्त वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 19/09/2023 को प्रतिवादीगण को न्यायालय के अग्रिम आदेश तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखने, निर्माण कार्य न करने व वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे में दखल न देने हेतु आदेशित किया गया था। वादी द्वारा प्रत्येक नियत तिथि को टी०आई० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता रहा है, किन्तु दिनांक 29/10/2025 को टी०आई० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न किये

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.05.30 16:18:09 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M. Ghatampur Kanpur Dehat

जाने के कारण टी०आई० का आदेश निरस्त कर दिया गया। अग्रिम नियत तिथि 17/11/2025 को वादिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। चूंकि वादिनी के कथनानुसार प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वादिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी का प्रार्थना पत्र 61ग2 अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। उक्त वाद में पारित आदेश 19/09/2023 को अग्रिम नियत तिथ तक विस्तारित किया जाता है। वादिनी को आदेशित किया जाता है कि वह भविष्य में टी०आई० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई भी लापरवाही न करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 04/07/2026 को पेश हो।

दिनांक– 30/05/2026

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562